Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बांसवाड़ा में सहायक सांख्यिकी अधिकारी 03 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *26 मई, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये दिपक डिन्डोर, हाल सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बांसवाड़ा को परिवादी से **03 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे ओबीसी वर्ग (दिव्यांग कोटे) से किराणा स्टोर आवेदन पर स्वीकृतशुदा लोन की बकाया किश्त जारी कराने की एवज में दिपक डिन्डोर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय परियोजना प्रबंधक बांसवाड़ा द्वारा 05 **हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की बांसवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री माधोसिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये दिपक डिन्डोर पुत्र लालसिंह डिन्डोर निवासी गांव मेराना तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा, हाल सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बांसवाड़ा को 03 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा **02 हजार रूपये** रिश्वत राशि पूर्व में सत्यापन के दौरान परिवादी से वसूल ली गई थी।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ एंव आवास व अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।